कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान
(समग्र शिक्षा अभियान)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार शिक्षा परियोजना, सिवान अंतर्गत सभी 19 (उन्नीस) प्रखण्ड़ों में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय टाईप–I आन्दर, बड़हरिया, बसंतपुर, भगवानपुरहाट, दरौंदा, दरौली, गोरेयाकोठी, हसनपुरा, हुसैनगंज, लकड़ीनवीगंज, महाराजगंज, मैरवा, नवतन, पचरूखी, रघुनाथपुर, सिसवन, सिवान सदर एवं जिरादेई, टाईप–III गुठनी, तथा 6 (छः) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय टाईप– IV यथा बड़हरिया, बसंतपुर, भगवानपुरहाट, दरौंदा, गोरेयाकोठी एवं महाराजगंज में एक वर्ष के लिए आवर्ती मद यथा– (1) खाद्यान्न सामग्री (2) पोशाक की आपूर्ति के लिए दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/निविदादाता से मुहर बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 15 दिनों के अंदर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से संबंधित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय प्रखण्ड़ के नाम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यालय समग्र शिक्षा, सिवान, महादेवा ओ॰पी॰ थाना के सामने, पिन कोड– 841227 शिक्षा विभाग कार्यालय में भेज सकते है।

➢ **सामान्य शर्त्ते :–**

1. निविदादाता द्वारा जिले के सभी के॰जी॰बी॰भी॰ एवं सभी पैकेज के लिए मात्र एक ही तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पैकेजवार अलग–अलग लिफाफे में क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित करना होगा। लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा एवं पैकेज स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तकनीकी में सफल पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा एक ही लिफाफे में पाये जाने की स्थिति में उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. जिला कार्यालय के पास निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं इस निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

➢ **तकनीकी निविदा की शर्त्ते :–**

1. निविदादाता को वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार राज्य के बाहर के निविदादाता को भी बिहार में वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को विगत तीन वर्ष–2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025 के आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता का विगत पाँच वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रू॰ 3000000.00/–(तीस लाख) रूपये मात्र या इससे अधिक होना अनिवार्य है। सत्यापन के लिए चार्टर अकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट किया हुआ, प्रोफिट एण्ड लॉस और बैलेंस सीट प्रपत्र संलग्न करना होगा। निविदादाता एक साथ सभी छः पैकेज के लिए रू॰ 3000000.00/–(तीस लाख) रूपये मात्र या इससे अधिक के टर्न ओवर का कागजात या अलग–अलग पैकेज के लिए निर्धारित टर्न ओवर का कागजात संलग्न कर उस पैकेज विशेष के लिए निविदा दे सकते है।
4. वार्षिक टर्न ओवर की राशिः–

पैकेज संख्या	वार्षिक टर्न ओवर की राशि
पैकेज संख्या– 01	300000.00/– (तीन लाख रूपया मात्र)
पैकेज संख्या– 04	300000.00/– (तीन लाख रूपया मात्र)

5. अग्रधन की राशिः–

पैकेज संख्या/सामग्री	डिमांड ड्राफ्ट की राशि
पैकेज संख्या– 01 (खाद्यान्न सामग्री)	5000.00×25=125000.00 (एक लाख पचीस हजार रूपया मात्र)
पैकेज संख्या– 04 (पोशाक)	3000.00×25=75000.00 (पचहत्तर हजार रूपया मात्र)

6. खाद्य सामग्री के आपूर्ति हेतु खाद्य अपमिश्रण अद्यतन (FSSAI प्रमाण पत्र)।
7. आपूर्तिकर्त्ता/दुकानदार द्वारा किसी एक पैकेज अथवा एक से अधिक पैकेज हेतु निविदा दिया जा सकता है।
8. निविदादाता को इस आशय का नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र देना होगा कि उन्हें BEP अथवा किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
9. किसी के॰जी॰बी॰भी॰ में राशि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कम से कम तीन माह तक सामग्री आपूर्ति की वचनवद्धता का प्रमाण–पत्र।
10. निविदादाता को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा के॰जी॰बी॰भी॰ या अन्य किसी सरकारी आवासीय विद्यालय/संस्थान में सामग्री आपूर्ति करने का कार्य अनुभव है।
11. निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा स्वीकार्य की जायेगी। निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि के तुरन्त बाद अर्थात 16वें दिन (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को) जिला क्रय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।
12. सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता के साथ न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता निर्धारित करने की शक्ति जिला क्रय समिति के पास होगी।
13. निविदादाता को सामग्रियों की दर के॰जी॰बी॰भी॰ में पहुँचाने हेतु परिवहन शुल्क एवं सभी कर सहित अंकित करना होगा एवं समग्री का कंपनी मार्क भी अंकित करना होगा।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान
(समग्र शिक्षा अभियान)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

➢ वित्तीय शर्तें :—

1. जिले के सभी के॰जी॰बी॰भी॰ एवं सभी पैकेज के लिए मात्र एक ही तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पैकेजवार अलग–अलग लिफाफे में लिया जायेगा। निविदादाता सभी पैकेज के लिए अग्रधन की राशि जोड़कर एक ही बैंक ड्राफ्ट दे सकते है।
2. अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट जो **BEP GOB SIWAN** के नाम एवं सिवान में भुगतेय हो को स्वीकार किया जायेगा।
3. प्रत्येक के॰जी॰बी॰भी॰ में क्रय की जाने वाली सामग्रियों की संख्या/मात्रा बढ़ाई या घटायी जा सकती है।
4. प्रत्येक के॰जी॰बी॰भी॰ में क्रय किये जाने वाली सामग्री एकमुश्त अथवा आवश्यकतानुसार के॰जी॰बी॰भी॰ से मांग के आलोक में पाक्षिक/माहवार उपलब्ध कराया जाना होगा।
5. सफल आपूर्तिकर्त्ता को खाद्य सामग्री की आपूर्ति क्रय आदेश निर्गत तिथि से 07 दिन एवं अन्य सामग्री के लिए क्रय आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति की जानी होगी। ससमय सामग्री आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में 1000/ एक हजार रूपया प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। जिसकी कटौती संबंधित के॰जी॰बी॰भी॰ के द्वारा भुगतेय राशि में से की जायेगी।
6. यदि कोई आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति आदेश स्वीकार करने के उपरांत निर्गत क्रय आदेश की तिथि से एक माह पश्चात् भी सामग्री की आपूर्ति नही करता है अथवा सामग्री आपूर्ति करने से इंकार कर देता है तो वैसी स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।
7. निर्धारित नमूने के अनुसार तथा ससमय सामग्री आपूर्ति नही होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बाजार मूल्य से खरीदने पर उसकी अंतर राशि का भुगतान संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा।
8. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री का **Expiry Date** न्यूनतम 06 माह बाद होनी चाहिए।
9. भुगतान की कार्रवाई आपूर्ति की सामग्री एवं उसके नमूना से मिलान के पश्चात् संबंधित के॰जी॰बी॰भी॰ के द्वारा PFMS के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता के संबंधित खाते में राशि भुगतेय होगा।
10. निविदा के लिए Security Money के रूप में जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सभी शर्तों से पूर्ण निविदा हीं स्वीकार किये जाऐंगे तथा निविदादाता का हस्ताक्षर सभी पृष्ठ पर अनिवार्य है। निविदादाता को निविदा खोले जाने की तिथि में सभी सामग्री का नमूना भी दिखाना एवं जमा करना होगा। उक्त नमूना को सुरक्षित रखा जायेगा। नमूना के गुणवत्तापूर्ण नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त फर्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. राज्य कार्यालय द्वारा रंग निर्धारण के उपरांत पैकेज संख्या 04 पोशाक का कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
13. सभी पैकेज के लिए निर्धारित दर कार्यादेश की तिथि से 12 माह के लिए मान्य होगा। निर्धारित दर पर कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा। परन्तु खाद्य सामग्री के संदर्भ 06 माह बाद दर का संशोधन निविदादाता के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में क्रय समिति द्वारा किया जा सकेगा।
14. पैकेजवार प्राप्त निविदा दर का मूल्यांकन विद्यालय में अनुमानित खपत सामग्री के अनुसार किया जायेगा। मूल्यांकन के समय बाजार दर का भी ध्यान रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार क्रय समिति की सहमति से निविदादाता द्वारा अंकित किये गये मूल्य पर Negotiation भी किया जा सकता है। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
15. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व आपूर्तिकर्त्ता के साथ एकरारनामा किया जायेगा, जो 12 माह के लिए मान्य होगा।
16. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. निविदा बिना कोई कारण बताये पुर्णतः या आंशिक रूप से स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
18. विस्तृत जानकारी, शर्तें एवं सामग्रियों का विवरण कार्यालय अवधि में कार्यालय से अथवा वेबसाईट **www.ssasiwan.in** से प्राप्त किया जा सकता हैं।

30.06.2016

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा॰ शि॰ एवं सर्व शिक्षा अभियान–सह–सदस्य सचिव
जिला क्रय समिति
सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–सदस्य
जिला क्रय समिति,
सिवान।

उप विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला क्रय समिति,
सिवान।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान
(समग्र शिक्षा अभियान)

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

आवर्ती मद– पैकेज संख्याः– (01) खाद्यान्न सामग्री।

क.सं.	समग्रियों का नाम	विशिष्टताएं (ब्राण्ड नाम)	मात्रा	सामग्री का दर
1	चावल (सोना मंसूरी)		प्रति क्विंटल	
2	चावल (बासमती)		प्रति क्विंटल	
3	आटा (चक्की फ्रेस)		प्रति क्विंटल	
4	मसुर दाल (खड़ा छिलका सहित)		प्रति कि॰ग्रा॰	
5	अरहर दाल		प्रति कि॰ग्रा॰	
6	चना दाल		प्रति कि॰ग्रा॰	
7	मुंगदाल		प्रति कि॰ग्रा॰	
8	चना बेसन		प्रति कि॰ग्रा॰	
9	चुड़ा		प्रति कि॰ग्रा॰	
10	गुड़		प्रति कि॰ग्रा॰	
11	चना		प्रति कि॰ग्रा॰	
12	मटर		प्रति कि॰ग्रा॰	
13	सूजी		प्रति कि॰ग्रा॰	
14	चीनी		प्रति कि॰ग्रा॰	
15	पारले जी बिस्कुट 5रू॰ वाला		प्रति पीस	
16	मुड़ी (लाई)		प्रति कि॰ग्रा॰	
17	दालमोट		प्रति कि॰ग्रा॰	
18	पापड़ (विकानेर)		प्रति कि॰ग्रा॰	
19	चना का भुजा		प्रति कि॰ग्रा॰	
20	चना का सत्तू		प्रति कि॰ग्रा॰	
21	सरसों तेल(कोल्हू ब्रांड)		प्रति लीटर	
22	रिफाईन तेल		प्रति लीटर	
23	हल्दी पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
24	धनियाँ पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
25	जीरा पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
26	मरीच पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
27	मीर्च पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
28	जीरा पाउडर		प्रति कि॰ग्रा॰	
29	गरम मसाला		प्रति कि॰ग्रा॰	
30	सुखा मिर्च खड़ा (तेजा)		प्रति कि॰ग्रा॰	
31	लहसुन		प्रति कि॰ग्रा॰	
32	सोयाबीन		प्रति कि॰ग्रा॰	
33	जवाईन		प्रति कि॰ग्रा॰	
34	मेथी		प्रति कि॰ग्रा॰	
35	मंगरईला		प्रति कि॰ग्रा॰	
36	ऑवला का आचार		प्रति कि॰ग्रा॰	
37	सरसों खड़ा		प्रति कि॰ग्रा॰	
38	तेजपत्ता		प्रति कि॰ग्रा॰	
39	मूंगफली दाना		प्रति कि॰ग्रा॰	
40	सेवई		प्रति कि॰ग्रा॰	
41	नमक (टाटा)		प्रति कि॰ग्रा॰	
42	माचिस (होम लाईट)		प्रति पैकेट	
43	मैदा		प्रति कि॰ग्रा॰	

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान
(समग्र शिक्षा अभियान)

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

आवर्ती मद– पैकेज संख्याः– (04) पोशाक।

क॰सं॰	पोशाक एवं ऊनी सामग्री का नाम	रंग	वर्ग	विशिष्टताएं / ब्राण्ड नाम	अभ्युक्ति
	सेट–I				
1	समीज	-	VI - XII	उत्तम किस्म की	
2	सलवार एवं दुप्ट्टा			उत्तम किस्म की	
	सेट–II				
3	समीज	-	VI - XII	उत्तम किस्म की	
4	सलवार एवं दुप्ट्टा	-		उत्तम किस्म की	
5	02 सेट गंजी 02 सेट जाँघिया 02 रूमाल 2 बाल में लगाने हेतु रबड़ बैंड 02 हेयर क्लिप 01 सेट जूता–मोजा 01 सेट हवाई चप्पल 01 सेट तौलिया	-.	VI - XII	उत्तम किस्म की	
	ऊनी वस्त्र				
6	स्वेटर एवं स्कार्फ	-	VI	उत्तम किस्म की	
7	ब्लेजर	-	VII	उत्तम किस्म की	
8	इनर (उपर–नीचे का) एवं शॉल	-	VIII	Branded Company	
9	स्वेटर एवं जूता	-	IX-XII	उत्तम किस्म की	

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

30.08.2026

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा॰ शि॰ एवं सर्व शिक्षा अभियान–सह–सदस्य सचिव
जिला क्रय समिति
सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–सदस्य
जिला क्रय समिति,
सिवान।

उप विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला क्रय समिति,
सिवान।